सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :— राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :— 527/2013

1. घमण्डी पुत्र मवासी जाति गडरिया नि0 ग्राम तरोंडर तह0 नगर

1/1	मु0 प्रेमवती पत्नि घमण्डी	
1/2	बच्चूसिंह	पिस0 घमण्डी जाति गडरिया नि0 तरोंडर
1/3	गब्बर	
1/4	रूपसिंह	
1/5	मुकेश	
1/6	राकेश	
1/7	पूर्ववता पुत्री घमण्डी	
1/8	सुमन्त्रा पुत्री घमण्डी	

2. श्रामसिंह पुत्र मवासी जाति गडरिया नि0 तरोंडर तह0 नगर

—— वादीगण

बनाम

1. सलेम | पिस0 उम्मेद
2. कमरू |
3. बदलू पुत्र रहीम खां
4. ताहिर हुसैन पुत्र रहमत
5. आसीन | पिस0 चाहत
6. आयूब |

जातियान मेव निवासी रायपुर सुकैती तह0 नगर

7.	आसमौहम्मद	पिस0 हुसैन खां नि0 बयारी तह0 नगर
8.	इलियास	
9.	मजीद	
10.	रसीद	
11.	मुवीन	
12.	दीनू	

13. नूरू
14. दीनमौहम्मद — पिस0 चांव सिंह जाति मेव नि0 बयारी तह0 नगर
15. जोरमल
16. जुहरू
17. चन्दर पुत्र छीतर
18. खुर्शीद — पिस0 चावला जाति मेव निवासी बयारी तह0 नगर
19. रसीद
20. तहसीलदार तह0 नगर

जातियान जाटव नि0 सीकरी पट्टी तह0 नगर

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

श्री गजेन्द्रसिंह, अधिवक्ता वादीगण

श्री मुवीनखां, प्रति0

निर्णय दिनांक 18/12/2017

वादीगण ने यह दावा इस आश्य का संस्थित किया है कि वि0आ0ख0नं0 161/0.54, 166/0.36, 625/0.35, 170/0.31, 171/0.37, 172/0.37, 173/0.62 बाके ग्राम रायपुर सुकैती स्थित है जो साबिक आ0ख0नं0 132 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, 495 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, 721 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा वादीगण के पिता मवासी पुत्र सोनी कौम गडरिया निवासी तरोंडर को भूतपूर्व सैनिक होने के कारण एलॉट हुआ था जिसका नामां0 संख्या 206 से राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया जिस पर तभी से वादीगण के पिता एवं अब उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । दौराने सैटिलमेन्ट साविक आ0ख0नं0 495 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा से हाल ख0नं0 625/0.35 बना जिसमें खिलाफ मौका व कब्जा हिम्मत पुत्र निजरू का नाम दर्ज कर दिया जो वातिल व बेअसर तथा गैरकानूनी व शून्य है । साविक ख0नं0 621 से नया ख0नं0 934/0.18 बना है जो वादीगण के पिता के नाम सही दर्ज है । साविक आ0ख0नं0 132 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा को दौराने सैटिलमेन्ट ख0नं0 161, 166, 170, 171, 172, 173 में गलत तरीके से

खिलाफ मौका व कब्जा मिलाकर प्रतिवादीगण के नाम कर दिया है जबकि सैटिलमेन्ट अधिकारियों को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है । विदि वजह ख0नं0 625 से प्रति0 हिम्मत का नाम कलमजन किया जाकर वादी0 को बहिस्सा बराबर तथा ख0नं0 161 में 4 ऐयर, 166 में 6 ऐयर, 170 में 6 ऐयर, 171 में 6 ऐयर , 172 में 6 ऐयर जो साविक ख0नं0 132 का रकबा मिला दिया है इसमें वादी0 अपना नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जाकर आ0ख0नं0 625/0.35 सम्पूर्ण व आ0ख0नं0 161मि0/0.04, 166मि0/0.06, 170मि0/0.06, 171/0.06, 172मि0/0.06, 173मि0/0.06 बाके ग्राम रायपुर सुकैती तह0 नगर पर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबे से प्रति0 का नाम कलमजन किया जावे । प्रति0 को जरिये हुक्म इम्तनाई दावामी पाबंद किया जावे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार महाजमत मदाखलत न करें, रहन वय मुंतकिल न करें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । प्रति0 संख्या 1 से 6 ने जबाव दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण ने यह दावा प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नीयत से प्रस्तुत किया है, प्रतिवादीगण 1 से 6 का मुताबिक राजस्व रिकार्ड वि0आ0 पर कब्जा काश्त है तथा रिकार्ड में खातेदार दर्ज है । वादीगण का मौके पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है । प्रतिवादीगण का रकबा साबिक रिकार्ड के अनुसार ही हाल रकबा है । वादीगण का दावा काबिल खारिज है ।

प्रति0 7 से 19 ने जबाव दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण का वि0आ0 पर कब्जा काश्त नही है इसलिए धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है । वि0आ0 प्रतिवादीगण की खातेदारी के साविक नम्बरान से निर्मित किये गये हैं, जिनमें वादीगण का कोई रकबा नही मिलाया है तथा मौके पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त है । वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है इसलिए दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत काबिल खारिज है । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई –

1. आया वादीगण विवादित आराजी ख0नं0 625/0.35 सम्पूर्ण व आ0ख0नं0 161मि0/0.04, 166मि0/0.06, 170मि0/0.06, 171मि0/0.06, 172मि0/0.06, 173मि0/0.06 बाके ग्राम रायपुर सुकैती तह0 नगर के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं ? ––जिम्मे वादी0

2. आया वादीगण विवादित आराजी के बारे में वादपत्र में चाही गई डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध प्रतिवादीगण पाने के मुश्तहक हैं ? ––जिम्मे वादी0

3. आया मुताबिक साबिक रिकार्ड के हाल रिकार्ड में प्रतिवादीगण का रकबा सही है जिस प्रकार साबिक रिकार्ड में प्रतिवादीगण के इन्द्राज हैं उसी प्रकार भी हाल रिकार्ड में भी प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज हैं । इस पर वादी का रकबा प्रतिवादीगण के रकबे में नही निकलता है । साबिक रिकार्ड में भी प्रतिवादीगण खातेदार दर्ज है व हाल रिकार्ड में भी खातेदार दर्ज है वादी का हाल में मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है एव ंना ही वादी का रकबा निकलता है? –– जिम्मे प्रति0

4. आया वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है ? –– जिम्मे प्रति0

5. दादरसी ?

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सं0 2060–63 किता–3 प्रदर्श पी0–1, नकल जमाबंदी सं0 2023–25 प्रदर्श पी0–2, नकल नामां0 संख्या 206 प्रदर्श पी0–3, नकल खसरा पत्रक किता–5 प्रदर्श पी0–4, नक्शा ट्रैश हाल प्रदर्श पी0–5, एवं नक्शा ट्रैश साविक प्रदर्श पी0–6 दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में वादी रामसिंह पीडब्ल्यू–1, गवाह सीताराम पीडब्ल्यू–2, बलजीतसिंह पीडब्ल्यू–3 के बयान कराये ।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सं0 2060–63 प्रदर्श पी0–1 खाता संख्या 16 पर हाल आ0ख0नं0 166/0.36, 167/0.34 आसमौहम्मद वगै0 प्रतिवादी 7 लगा0 11 की खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है । खाता संख्या 132 पर आ0ख0नं0 171/0.37, 172/0.37 की बावत् ''बदलू पुत्र रहीमखां निस्फ , चाहत, रहमत पिस0 दीना बहि0बराबर निस्फ कौम मेव सा0देह खातेदार'' दर्ज होना पाया जाता है । खाता संख्या 219 पर ख0नं0 170/0.31 की बावत् ''सलेम, कमरू पिस0 उम्मेद कौम मेव बहि0बराबर सा0देह खातेदार'' दर्ज होना पाया जाता है । खाता संख्या 254 पर ख0नं0 625/0.35 की बावत् –''हिम्मत वल्द निजरू कौम मेव सा0देह खातेदार ''दर्ज होना पाया जाता है । खाता संख्या 58 पर ख0नं0 173/0.62 की बावत् – ''चाहत बगै0 खातेदार'' दर्ज होना पाया जाता है तथा खाता संख्या 95 पर ख0नं0 161/0.54, 162/0.33 की बावत् – ''दीनू, नूरू बगै0 का नाम बतौर खातेदार दर्ज होना पाया जाता है । इस प्रकार खाता संख्या 279 पर ख0नं0 934/0.18 की बावत् – ''मवासी वल्द सोनी कौम गडरिया साकिन गैरखातेदार पट्टेदार'' दर्ज होना पाया जाता है । नकल जमाबंदी सं0 2023 प्रदर्श पी0–2 में साविक ख0नं0 132 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, 495 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा, 721 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा की बावत् – ''मवासी वल्द सोनी गडरिया पट्टेदार सा0तरोंडर इं0नं0 206'' दर्ज होना पाया जाता है तथा इसकी पुष्टि नकल नामां0 संख्या 206 प्रदर्श पी0–3 से भी स्पष्ट रूप से होती है । नकल खसरा पत्रक प्रदर्श पी0–5 के अनुसार हाल ख0नं0 161/0.54 साविक ख0नं0 128/2.19, 132मि0/0.05 से हाल

ख0नं0 166/0.36 साविक ख0नं0 133/1.10, 132मि0/0.07 से हाल ख0नं0 170/0.31 साविक ख0नं0 134/1.15, 132मि0/0.08 से हाल ख0नं0 171/0.37 साविक ख0नं0 135मि0/4.11, 132मि0/0.08 से हाल ख0नं0 172/0.37 साविक ख0नं0 135मि0 व 132मि0/0.07 से हाल ख0नं0 173/0.62 साविक ख0नं0 136/3.7, 132मि0/0.08 से मिलकर बनाया जाना साबित होता है जिनमें प्रतिवादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज होना पाया जाता है । इसी प्रकार हाल ख0नं0 625/0.35 साबिक ख0नं0 495मि0/2.7 से बनाया हाल ख0नं0 625/0.35 साविक ख0नं0 495मि./2.7 से बनाया जाना साबित है जिसके नाम कृषक के खाना नं0 23 में मवासी वल्द सोनी गडरिया पट्टेदार सा0 तरोंडर गैरखातेदार '' दर्ज है तथा हाल ख0नं0 934/0.18 साबिक ख0नं0 721मि0/1.06 से बनाया जाना साबित है तथा नाम कृषक के खाना नं0 23 में ''मवासी वल्द सोनी गडरिया पट्टेदार सा0 तरोंडर गैर खातेदार एलोटी दर्ज है । इस प्रकार उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड के विवेचन से साविक ख0नं0 132, 495 व 721 किता 3 रकबा 6 बीघा 6 विस्वा वादीगण के पिता मवासी पुत्र सोनी को आवंटित होना साबित है । दौराने भू पबंध जिनमें से साबिक ख0नं0 721 से बनाये गये नवीन ख0नं0 934/0.18 पर वादीगण के पिता मवासी का नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । साविक ख0नं0 495 से बनाये गये हाल ख0नं0 625/0.35 पर खसरा पत्रक के खाना नं0 23 में वादीगण के पिता मवासी का नाम बतौर गैर खातेदार एलोटी दर्ज है लेकिन इस नम्बर पर हाल में प्रतिवादी का नाम बतौर खातेदार किस प्रकार व कब दर्ज हुआ, भू प्रबंध की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद का अभिलेख वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही करने के कारण साबित नही होता है । जहां तक साविक ख0नं0 132 का रकवा हाल ख0नं0 161, 166, 170, 171, 172, 173 में मिलाये जाने का प्रश्न है, मुताबिक खसरा पत्रक साबित होता है लेकिन वर्तमान में उक्त नम्बर मौके पर होना वादीगण साबित करने में असफल रहे हैं क्योंकि राजस्व रिकार्ड में उक्त सभी नम्बरान प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है, जबकि वादीगण को आवंटित नम्बरांन आराजी गैरखातेदारी में दर्ज है । इस प्रकार वादीगण अपने वाद पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं । अतः आदेश है कि –

दावा वादीगण खारिज किया जाता है । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 18/12/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर